

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक: प.7 (2003)लेखा/पेंशन/विविध/वि.बो./2019-20/

दिनांक:

समस्त पेंशनर्स,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
जयपुर।

विषय:- पेंशनर्स के वित्तीय वर्ष 2019-20 (कर निर्धारण वर्ष) 2020-21 के आयकर गणना प्रपत्र की पूर्ति कर भिजवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पेंशनर्स के आयकर की गणना प्रपत्र की पूर्ति कर सात दिवस में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर में भिजवाने का श्रम करें, जिससे देय आयकर की राशि अनुपातिक रूप से काटी जा सके।

नियत समय अवधि में प्रपत्र भरकर नहीं भिजवाने की स्थिति में देय आयकर जमा कराने का उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा एवं ऐसी स्थिति में आयकर गणना राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व माह फरवरी-2020 में बोर्ड मुख्यालय द्वारा काट ली जावेगी।
संलग्न- प्रपत्र



(सुनिता माथुर)

वरिष्ठ लेखाधिकारी

क्रमांक: प.7 (2003)लेखा/पेंशन/विविध/वि.बो./2019-20/S295

दिनांक: 30/1/2020

प्रतिलिपि:- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, जयपुर को उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


वरिष्ठ लेखाधिकारी

आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2019-2020 (कर निर्धारण वर्ष 2020-2021)

नाम पद पैन न.

1. आय : सकल वेतन वर्ष - 2019-2020 में प्राप्त (कर योग्य सुविधाओं के मूल्य सहित) रु.
2. गृह किराया भत्ता धारा 10(13-A) के अन्तर्गत एवं धारा 10 (14) के अन्तर्गत अन्य भत्ते जो कर मुक्त है। रु.
3. सरकार द्वारा नवीन पेंशन योजना में अंशदान रु.
4. सकल वेतन रु.
5. घटाइये : धारा 16 (i ए) के तहत मानक कटौती रु 50000 /- रु.
6. कर योग्य वेतन रु.
7. (अ) गृह सम्पत्ति से आय : (i) स्वयं के उपयोग में - शून्य (ii) प्राप्त किराया

(ब) घटाये :	किराये का 30%	गृह ऋण पर ब्याज	गृहकर	योग
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.

शेष - / + (7 (अ) एवं योग 7 (ब) का) रु.

- * यदि स्वं अधिकृत गृह का निर्माण या खरीद 1-4-99 से पूर्व हुआ हो तो केवल गृह ऋण के ब्याज पर अधिकतम 30,000 रु. स्वीकार्य है/
- * यदि गृह का निर्माण पूर्णतः या 1-4-99 के उपरांत हुआ हो तो गृह ऋण पर ब्याज आय से अधिकतम 2,00,000 रु. तक कटौती योग्य है/
- 8. कुल शेष - / + (6 एवं 7) रु.
- 9. अन्य आय (कृपया विगत अलग दें) रु.
- 10. सकल आय शेष (8+9) रु.

11. घटाइये कटौतियाँ :- धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1)
 - (A) अधिकतम सीमा 1,50,000/- (धारा 80CCE), [80CCD(2) व 80CCD(1B) के अलावा]
 - (i) राज्य बीमा (x) राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत्त ब्याज
 - (ii) जीवन बीमा प्रीमियम (xi) ट्यूशन फीस (दो बच्चों के लिये)
 - (iii) राष्ट्रीय बचत पत्र (xii) मीयादी जमा बैंक में
 - (iv) लोक भविष्य निधि 5 वर्ष या अधिक के लिये
 - (v) म्युचुअल फंड या यू. टी. आई. की अधिसूचित इकाइयाँ (xiii) नाबार्ड द्वारा अधिसूचित बॉण्ड्स
 - (vi) सामान्य प्रावधायी निधि (xiv) पेंशन प्लान हेतु अंशदान (धारा 80 CCC)
 - (vii) सामुहिक बीमा प्रीमियम (xv) नवीन पेंशन स्कीम में अंशदान
 - (viii) यू.एल.आई.पी. (अधिकतम, वेतन का 10%)
 - (ix) गृह ऋण किस्त योग (i से xv)
 - (B) घटाइये धारा (80CCE) (80CCD(2)) सरकार द्वारा नवीन पेंशन योजना में अंशदान (अधिकतम, वेतन का 10%)
 - (C) घटाइये धारा (80CCD(1B)) स्वं द्वारा नवीन पेंशन योजना में अंशदान (अधिकतम रु.50,000)

योग 11(A + B + C) रु.

12. अन्य कटौतियाँ
 1. धारा 80D, चिकित्सा बीमा प्रीमियम (अधिकतम बच्चों के लिये रु.25,000, माता पिता के लिये रु.25,000 व वरिष्ठ नागरिक हेतु रु.50,000)
 2. धारा 80DD, विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार (अधिकतम 75,000 तथा विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार कुछ मामलों में रु.1,25,000)
 3. धारा 80DDB, विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (अधिकतम 40,000 वरिष्ठ नागरिक हेतु 1,00,000)
 4. धारा 80E, उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण का ब्याज
 5. धारा 80G, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये दान 50 % एवं 100 % (अधिकतम सकल कुल आय का 10% वास्तविक भुगतान)
 6. धारा 80U, स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में कटौती (अधिकतम 75,000 तथा विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार कुछ मामलों में रु.1,25,000)
 7. धारा 80TTA, बैंक बचत से ब्याज रु. 10000 तक
 8. धारा 80 TTB, सावधि जमा/बचत बैंक खाते से ब्याज या किसी अन्य ब्याज (वरिष्ठ नागरिक हेतु रु 50000)

योग 12 (1 से 8 तक योग) रु.

13. कुल कटौती (11+12) रु.
14. कर योग्य आय (10 - 13) रु.
15. कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288 A रु.
16. (i) आयकर की गणना उपरोक्त कॉलम 15 के आधार पर (देखिये सारणी नीचे)
 - घटाइये:- राहत धारा 87A (आयकर का 100 प्रतिशत या रु 12500 जो भी कम हो यदि कुल राशि रु 500000 तक हो)
 - (ii) कर पर स्वास्थ्य और शिखा उपकर 4%

योग 16 (i से ii) रु.

17. घटाइये :- राहत धारा 89 के तहत रु.
18. कुल कर रु.

19. आयकर कटौती का विवरण	सितम्बर 2019 तक रु.	दिसम्बर 2019 तक रु.	फरवरी 2020 तक रु.	टी.डी.एस. (कुल) रु.	योग रु.
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	--------------

व्यक्तिगत	60 वर्ष या अधिक आयु		80 वर्ष या अधिक आयु	
	कर दर	कर योग्य आय	कर दर	कर योग्य आय
0-2,50,000	Nil	0-3,00,000	Nil	0-5,00,000
2,50,001-5,00,000	5%	3,00,001-5,00,000	5%	5,00,001-10,00,000
5,00,001-10,00,000	20%	5,00,001-10,00,000	20%	10,00,000 से अधिक
10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	30%	

